

प्रेषक,

आर०के० द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ,
उ०प्र०, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

लखनऊ:दिनांक-14 अक्टूबर, 2013

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में दिन शौचालय, बाथिंग प्लेटफार्म एवं नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-26281/नम-2, दिनांक-29.8.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-281/22-4-12-107(ब)/10, दिनांक-6.02.2013 द्वारा केन्द्रीय कारागार, बरेली में 16 ब्लाक (प्रत्येक ब्लाक में 8 नग दिन शौचालय) एवं 05 ब्लाक (प्रत्येक ब्लाक में 04 नग दिन शौचालय) इस प्रकार कुल 118 नग दिन शौचालय, 8 नग बाथिंग प्लेटफार्म, 480 मी० नालियों, 21 नग सैण्टिक टैंक एवं 21 नग शोकपिट के निर्माण हेतु रु०-66,32,000/- (रुपया छियासठ लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रथम किस्त के रूप में रु०-25,50,000/- (रुपये पच्चीस लाख पचास हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आपके उक्त पत्र दिनांक-29.8.2013 में किये गये प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुये श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त निर्माण कार्य हेतु अवशेष द्वितीय किस्त की धनराशि रु०-40,82,000/- (रुपये चालीस लाख बयासी हजार मात्र) की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का सदुपयोग दिनांक-31.3.2014 तक अवश्य कर लिया जाय।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

15-X-13

निर्माण

(Handwritten signature)

17-10-13

10063
157
17/10/2013

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-04-कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाले जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से बहन किया जायेगा।

3- उक्त शासनादेश दिनांक-6.3.2013 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक-28.3.13 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
(Handwritten signature)
(आर०के० द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-1336(1)/22-4-2013-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- प्रबन्धक निदेशक, उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि० लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, बरेली।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/2
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०के० द्विवेदी)
अनु सचिव।